बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(61)

॥श्री॥

प्र.क्र. R PBR/2018
प्रस्तुति दिनांक :- 11/06/2018

:: न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) ::

निगरानी - 3549/2018/धार/भू.रा.

रतनसिंह पिता धनसिंहजी चावड़ा, आयु (66) वर्ष,
जाति राजपूत, व्यवसाय कृषि, निवासी राजपुरा
हाल मुकाम ग्राम अमझेरा, तहसील सरदारपुर, जिला
धार (मध्य- प्रदेश) :-- निगरानीकर्ता

(बनाम)

शासन :---विपक्षी

प्र.क्र. 3549 ... 11-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक ... हेतु दिनांक 04-7-18 नियत। 11-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

:: निगरानी अर्ज धारा (50) भू. राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ::

मान्यवर महोदय,

श्रीमान् की सेवा में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अर्ज है कि, ग्राम अमझेरा तहसील सरदारपुर की आबादी भूमि सर्वे नम्बर -(545) जिसमें अनेक व्यक्तियों के मकानात मौके पर बने हुवे है, इस भूमि में से (30×40) वर्गफीट का एक भूखण्ड विधीवत न्यायालय तहसील सरदारपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक (174-/बी-121/2014-15) में विधी अनुसार जांच कर (12×10) वर्गमीटर का उल्लेख करते हुवे चतुरसीमा का उल्लेख करते हुवे विधीवत भूखण्ड का भूमि स्वामी अधिकार निगरानीकर्ता को बाद जांच प्रदान किया गया है, उसके तावे निगरानीकर्ता ने तत्काल ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराकर उस पर निर्माण करने के लिये निर्माण अनुमति ग्राम पंचायत अमझेरा से मांगी तो ग्राम पंचायत अमझेरा ने पत्र क्रमांक 487/ग्राम पंचायत / 2017 में आदेश दिनांक 20.1.2017 द्वारा भूखण्ड पर निर्माण के लिये अनुमति प्रदान की और उसी समय निगरानीकर्ता ने उस पर लाखो रूपया खर्च कर मकान का निर्माण कर लिया है, जिसका उपभोग व उपयोग निगरानीकर्ता करता चला आ रहा है, उक्त मकान व भूखण्ड के संबंध में किसी मुत्फरिक शिकायती अर्जी पर से जो किसी हमसे रंजिश रखने वाले पत्रकार के द्वारा की गई है, उसके तावे नायब तहसीलदार महोदय, तहसील सरदारपुर ने पट्टा निरस्तीकरण

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3549/2018/धार/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री टी0टी0गुप्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	